

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन

आई.ए.एस.

अपील संख्या 27/2019

सेठ जी.बी. पोदार कॉलेज, नवलगढ़ संचालित दी आनन्दीलाल पोदार ट्रस्ट नवलगढ़ जरिये
मोतीचन्द मालू, मानद सचिव पुत्र ज्ञानचन्द जैन निवासी नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

—

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 14.03.2019 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ़ उनवानी
प्रकरण सरकार बनाम सेठ जी.बी. पोदार कॉलेज मु.न. 413/2011 अन्तर्गत धारा 91 राज. भू राजस्व
अधिनियम

—

उपस्थित:-

1. श्री राजकुमार सैनी -एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी - राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.10.2019

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ़ के निर्णय दिनांक 14.03.2019 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैं:- अपीलान्ट ने उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि पट्टा संख्या 65 के द्वारा नवलगढ़ ठिकाना से प्राप्त की थी जिसका पट्टा 26.06.1930 का बना हुआ है। इस भूमि में व्यायामशाला, खेल मैदान व उसके बाद उक्त भूमि में राजा रामदेव पोदार स्मृति भवन का निर्माण करवाया गया था। तभी से उक्त भूमि पैवेलियन व खेल गतिविधियों के रूप में काम आ रही है। उक्त भूमि सन् 1930 से ही शिक्षण संस्था के खेल मैदान के रूप में काम आ रही है। राजस्व अधिकारियों के द्वारा उक्त पट्टे का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया है। सन् 1930 में पट्टा शुदा के आस - पास की भूमि भी आबादी भूमि थी इसलिए खेल मैदान के लिए भूमि कम पड़ने पर सन् 27.04.1944 को तत्कालीन ठिकानेदार श्री रावल मदनसिंह जी से पट्टा संख्या 144 के द्वारा


जिला कलेक्टर झुंझुनू

7125 वर्गगज भूमि क़य की गई थी व इसके उपरान्त दिनांक 04.10.1950 को पट्टा संख्या 72 के द्वारा 10272 वर्गगज भूमि ठिकाना नवलगढ़ से ली गई थी व इसके पश्चात् दिनांक 13.03.1954 को पट्टा संख्या 22 के द्वारा 3725 वर्गगज भूमि तत्कालीन ठिकानेदार रावल मदनसिंह से क़य की गई थी। इस प्रकार चारों पट्टों की भूमि के मालिक दी आनन्दीलाल पोदार ट्रस्ट हुये। दी आनन्दीलाल पोदार ट्रस्ट द्वारा स्कूल एवं सेठ जी.बी. पोदार कॉलेज, नवलगढ़ के खेल मैदान व पैवेलियन का निर्माण करवाया गया। उक्त समस्त पक्का निर्माण सन् 1954 से पहले बनकर तैयार हो गया था और उक्त समस्त भूमि सन् 1930 से लेकर आज दिनांक तक पोदार स्कूल व पोदार कॉलेज के खेल मैदान, पैवेलियन व कॉलेज व स्कूल के खेल गतिविधियों के कार्यों के रूप में बिना किसी रूकावट के काम में आ रही है। उक्त भूमि का उपयोग पोदार ट्रस्ट, नवलगढ़ के द्वारा विगत 90 वर्षों से किया जा रहा है। उक्त कानूनी बिन्दुओं पर अदालत मातहत ने गौर न कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा रिट पीटीशन अब्दुल रहमान बनाम सरकार का हवाला देकर बेदखल करने का आदेश दिया गया है जो उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होता है। अन्यथा भी श्री अब्दुल रहमान के फैसले में राज्य सरकार को केवल कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार का फैसला भी स्कूलों पर कतई लागू नहीं होता है। राजस्व रिकार्ड के रूप में जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 लगायत 2025 तक उक्त भूमि व्यायामशाला, प्लेग्राउण्ड, खेल मैदान कॉलेज, पैवेलियन के रूप में दर्शित किया गया है उक्त भूमि के नये सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 720 व 722 पड़े थे, इसके पश्चात खसरा नम्बर 57 व 59 हो गये। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने सहवन से उक्त भूमि खातेदारी सरकार के नाम दर्ज किस्म जोहड़ दर्ज कर दी गई वो गलत है। राजस्व अधिकारियों को रेवेन्यू रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि उक्त भूमि कभी जोहड़ नहीं रही किन्तु उक्त भूमि पिछले लगभग 90 वर्षों से पोदार स्कूल व्यायामशाला, प्लेग्राउण्ड, पोदार कॉलेज, पैवेलियन, खेल मैदान के रूप में काम आ रही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि सेटलमेन्ट को भूमि किस्म व अन्य कोई भी नई प्रविष्टि करने का अधिकार नहीं है। भूमि ठिकाना नवलगढ़ की थी जिन्होंने नियमानुसार पट्टे जारी कर उक्त भूमि का कब्जा व समस्त स्वामित्व अधिकार अपीलान्ट संस्था को दे दिये थे। उक्त पट्टे केन्द्रीय राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर के अनुसार सही है, जहां पर उक्त पट्टों की पट्टा बही मौजूद है। इसमें उल्लेखनीय यह भी है कि उक्त पट्टे राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10.06.1961 के अनुसार पंचनामा ठिकाना शेखावाटी द्वारा जारी पट्टे विधिवत रूप से जारी किये हुये माने गये है। स्पेशिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 के अनुसार कानूनन जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त पट्टों को निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही की जानी न्यायोचित नहीं है। पट्टेशुदा भूमि में अपीलान्ट संस्था द्वारा ओडिटोरियम बनाया गया था जिसका उद्घाटन सन् 1954 में भारत के राष्ट्रपति माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा किया गया था जिसके बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि पर अधारा 91 रा.ले. रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही करने में भूल कानूनी की है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 14.03.2019 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ़ को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान नजीर आर.एल.डब्लु 2016(2) आईवी पेज संख्या 856 से 865 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि पट्टा संख्या 65 के द्वारा नवलगढ़ ठिकाना से प्राप्त की थी जिसका पट्टा 26.06.1930 का बना हुआ है। इस भूमि में व्यायामशाला, खेल मैदान व उसके बाद उक्त भूमि में राजा रामदेव पोदार स्मृति भवन

का निर्माण करवाया गया था। तभी से उक्त भूमि पैवेलियन व खेल गतिविधियों के रूप में काम आ रही है। उक्त भूमि सन् 1930 से ही शिक्षण संस्था के खेल मैदान के रूप में काम आ रही है। राजस्व अधिकारियों के द्वारा उक्त पट्टे का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया है। सन् 1930 में पट्टा शुदा के आस - पास की भूमि भी आबादी भूमि थी इसलिए खेल मैदान के लिए भूमि कम पड़ने पर सन् 27.04.1944 को तत्कालीन ठिकानेदार श्री रावल मदनसिंह जी से पट्टा संख्या 144 के द्वारा 7125 वर्गगज भूमि क़य की गई थी व इसके उपरान्त दिनांक 04.10.1950 को पट्टा संख्या 72 के द्वारा 10272 वर्गगज भूमि ठिकाना नवलगढ़ से ली गई थी व इसके पश्चात् दिनांक 13.03.1954 को पट्टा संख्या 22 के द्वारा 3725 वर्गगज भूमि तत्कालीन ठिकानेदार रावल मदनसिंह से क़य की गई थी। इस प्रकार चारों पट्टों की भूमि के मालिक दी आनन्दीलाल पोदार ट्रस्ट हुये। दी आनन्दीलाल पोदार ट्रस्ट द्वारा स्कूल एवं सेठ जी.बी. पोदार कॉलेज, नवलगढ़ के खेल मैदान व पैवेलियन का निर्माण करवाया गया। उक्त समस्त पक्का निर्माण सन् 1954 से पहले बनकर तैयार हो गया था और उक्त समस्त भूमि सन् 1930 से लेकर आज दिनांक तक पोदार स्कूल व पोदार कॉलेज के खेल मैदान, पैवेलियन व कॉलेज व स्कूल के खेल गतिविधियों के कार्यों के रूप में बिना किसी रूकावट के काम में आ रही है। अदालत मातहत द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा रिट पीटीशन अब्दुल रहमान बनाम सरकार का हवाला देकर बेदखल करने का आदेश दिया गया है जो उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होता है। अन्यथा भी श्री अब्दुल रहमान के फैसले में राज्य सरकार को केवल कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार का फैसला भी स्कूलों पर कतई लागू नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा दस्तावेजों की पूर्ण जांच किये बगैर ही आदेश पारित पारित किया है जो विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2019 को खारीज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये हैं। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया अवलोकन से यह तथ्य तो साफ है कि अपीलार्थी ट्रस्ट द्वारा विवादित भूमि पट्टा संख्या 65 दिनांक 26.06.1930, पट्टा संख्या 144 दिनांक 27.04.1944, पट्टा संख्या 72 दिनांक 04.10.1950 तथा पट्टा संख्या 22 दिनांक 13.03.1954 द्वारा प्राप्त की है। अदालत मातहत द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एस.एल.पी.(सी) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 20.08.2004 के परिपेक्ष में अपीलार्थी ट्रस्ट के विरुद्ध अ. धारा. 91 राजस्थाल लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही की है। परन्तु प्रकरण में उक्त दोनों निर्णय ही लागू नहीं होते हैं। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम नवलगढ़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 59 में पैवेलियन निजी कॉलेज का खेल मैदान का स्टेट समय से कब्जा बताकर अतिक्रमण की रिपोर्ट

प्रस्तुत की है। जब स्वयं पटवारी की रिपोर्ट में कब्जा स्टेट समय का माना है तो उक्त दोनों निर्णय इस प्रकरण किस प्रकार लागु हुये इसका अकंन अदालत मातहत ने अपने आदेश में नहीं किया है। अपीलार्थी ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि जरिये पट्टा ठिकाना से प्राप्त की है जो सही है। जिससे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2019 खारिज किया जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि जैन)

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

जिला कलेक्टर झुंझुनू